



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16062022-236630
CG-DL-E-16062022-236630

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2619]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 15, 2022/ज्येष्ठ 25, 1944

No. 2619]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 15, 2022/JYAISTHA 25, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 2022

का.आ. 2751(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-65 पर आर.ओ.बी निर्माण लेवल क्रोसिंग संख्या C-64 (मानासर फाटक) पर किमी 172.990 (स्ट्रेच किमी 172/346 से 173/519 तक) के निर्माण हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गांवों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-65 पर आर.ओ.बी निर्माण लेवल क्रोसिंग संख्या C-64 (मानासर फाटक) पर किमी 172.990 (स्ट्रेच किमी 172/346 से 173/519 तक) हेतु भूमि का अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	अतिरिक्त जिला कलैक्टर (नागौर)	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राजस्थान	नागौर	नागौर	1 नागौर

		NH65 के कि.मी. 172.346 से 173.519 तक			
--	--	---	--	--	--

[फा. सं. RW/JAI/RJ/CE-RO/NH-12012/2022-23/01]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th June, 2022

S.O. 2751(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for "Construction of 2 Lane ROB and its approaches in lieu of existing level crossing C-64 at Nagaur City (Manasar Phatak) at km 172.990 (stretch Km. 172.346 to Km. 173.519) NH-65 in the State of Rajasthan".

SCHEDULE

Land acquisition on National highway no. 65 Construction of 2 Lane ROB and its approaches in lieu of existing level crossing C-64 at Nagaur City (Manasar Phatak) at Km. 172.990 (stretch Km. 172.346 to Km. 173.519) on NH-65 in the State of Rajasthan.`

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Additional District Collector (Nagaur)	172.346KM To 173.519KM	RAJASTHAN	NAGAUR	Nagaur	1 Nagaur

[F. No. RW/JAI/RJ/CE-RO/NH-12012/2022-23/01]

RAJESH GUPTA, Director